बिहार सरकार

अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

(योजना एवं विकास विभाग)

का०आ०सं०–स्था०1/आ०2–36/2016 08 पटना, दिनांकः 15.1.19

कार्यालय आदेश

श्री रंजीत कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बोचहाँ, मुजफ्फरपुर संप्रति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुजफ्फरपुर के विरूद्ध जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के पत्रांक–3894/विधि, दिनांक–31.10.2016 द्वारा समर्पित आरोप प्रपत्र के आलोक में निदेशालय के का०आ०सं०–357 सहपठित ज्ञापांक–2364 दिनांक–25.10.2017 द्वारा श्री रंजीत कुमार सिन्हा पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्यवाही प्रारंभ की गयी। इस विभागीय कार्यवाही में अपर समाहर्त्ता (विभागीय जॉच), मुजफ्फरपुर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

2. अपर समाहर्त्ता (विभगीय जॉच), मुजफ्फरपुर–सह–संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–205/वि०जॉ०, दिनांक–07.09.2018 द्वारा श्री रंजीत कुमार सिन्हा के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी ने श्री सिन्हा द्वारा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरण एवं उपस्थापन पदाधिकारी–सह– जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के द्वारा प्रस्तुत किये गये विभागीय पक्ष तथा अभिलेखीय साक्ष्य की समीक्षा के बाद प्रतिवेदित किया है कि " माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दायर CWJC No. 6312/13 सत्यनारायण राम बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में अनुमोदित तथ्य विवरणी को जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक–3399 दिनांक–23.09.2013 के द्वारा आरोपित श्री रंजीत कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी,बोचहॉ संप्रति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी को प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु प्राधिकृत किया गया था।

श्री सिन्हा ने अपने स्पष्टीकरण एवं सुनवाई में स्पष्ट किया है कि माननीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु तत्परता से ससमय तथ्य विवरणी तैयार कर अनुमंडल पदाधिकारी, पूर्वी, मुजफ्फरपुर एवं उप विकास आयुक्त, मुजफ्फरपुर से अनुमोदनोपरान्त एवं हस्ताक्षरोपरान्त पत्रांक–1617 दिनांक–13.08.2013 द्वारा जिला विधि प्रशाखा में जमा कराया था जहॉ से उक्त मामले में उन्हें जिलाधिकारी महोदय के द्वारा पत्रांक–3399/विधि दिनांक–23.09.2013 से प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने हेतु प्राधिकृत किया गया। इस क्रम में श्री सिन्हा के अनुसार दिनांक–27.09.2013 को सरकारी अधिवक्ता–2 के यहॉ पहुँचकर तथ्य विवरणी प्राप्त करा दी गयी जिसकी छायाप्रति प्रस्तुत की गई है। उनके अनुसार वाद की तिथि निर्धारित होने पर सरकारी अधिवक्ता–2 के द्वारा उन्हें शपथ लेने हेतु बुलाने की बात कही गयी। दिनांक–23.12.2013 को शपथ लेने हेतु बुलाया गया था जिस क्रम में श्री सिन्हा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बोचहॉ के अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी से

अनुमति प्राप्त कर दिनांक–23.12.2013 सरकारी अधिवक्ता –02 के यहॉ उपस्थित हुए पर शपथ नहीं लिया जा सका। इस आशय की सूचना जिला विधि प्रशाखा, मुजफ्फरपुर एवं अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी को नहीं दी गई। पुनः श्री सिन्हा का कथन है कि सितंबर–2014 में उनका स्थानांतरण मुजफ्फरपुर से ग्रामीण विकास विभाग, पटना हो गया। उनके अनुसार पुनः वर्ष अगस्त 2016 में प्रखंड विकास पदाधिकारी बोचहॉ शपथ लेने हेतु बुलाया गया तो इतने दिनों के विलंब हेतु इनके विरूद्ध प्रपत्र 'क' गठन कर दिया गया। इनका कहना है कि इन्होंने ससमय तथ्य विवरणी तैयार कर ओथ लेने हेतु पटना जाने की अनुमति लेकर शपथ लेने का प्रयास किया। किन्तु शपथ नहीं लिया जा सका। अतः इन्होंने अपने को दोष मुक्त करने हेतु अनुरोध किया है। आरोपी श्री सिन्हा का स्पष्टीकरण इस दूरी तक समीचीन प्रतीत होता है। किन्तु इनके द्वारा दिनांक–27.09.2013 एवं 23.12.2013 को जी०पी०–2 से मिलने के बाद ओथ नहीं लिया गया इसकी सूचना या विषयवस्तु की जानकारी जिला विधि प्रशाखा, मुजफ्फरपुर या वरीय पदाधिकारी को नहीं दी गई। साथ ही सितंबर, 2014 से स्थानांतरण के समय प्रभारग्राही पदाधिकारी देते वक्त प्रभारी पदाधिकारी को भी इस विषय की जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी है। यह कृत्य लापरवाही का द्योतक है। अतः श्री सिन्हा आंशिक रूप से दोषी प्रतीत होते हैं।

निष्कर्ष :– श्री रंजीत कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बोचहॉ, मुजफ्फरपुर, संप्रति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, सीवान के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में गठित एकल आरोप में श्री सिन्हा आंशिक रूप से दोषी प्रतीत होते हैं।"

3. बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–18 में किये गये प्रावधान के तहत संचालन पदाधिकारी के आंशिक रूप से दोषी प्रमाणित पाये जाने के प्रतिवेदन पर श्री रंजीत कुमार सिन्हा, वर्त्तमान पदस्थापन जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुजफ्फरपुर से अभ्यावेदन प्राप्त किया गया। अपने अभ्यावेदन में श्री सिन्हा ने यह उल्लेख किया है कि तथ्य विवरणी तैयार कराकर सभी संबंधित पदाधिकारियों से हस्ताक्षर कराना एवं अनुपालन की पूर्ण प्रक्रिया जिला विधि प्रशाखा के माध्यम से ही अंजाम दी गई है, ऐसी स्थिति में पुनः अलग से विधि प्रशाखा को सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है और ऐसा कोई निर्देश भी प्राप्त नहीं है। जिला विधि प्रशाखा द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि तथ्य विवरणी संबंधित पदाधिकारी से हस्ताक्षरोपरान्त सम्यक रूप से माननीय उच्च न्यायालय में जमा करने हेतु संबंधित जी०पी० के यहॉ प्रस्तुत कर दें और ओथ लेकर ओथ संख्या एवं तिथि संबंधित प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। इस निर्देश का अनुपालन उनके द्वारा ससमय किया गया । अतः इस बिन्दु पर आंशिक दोषी ठहराया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

दूसरा बिन्दु यह अंकित किया गया है कि स्थानान्तरण के पश्चात् प्रभारग्राही को इस विषय की जानकारी नहीं दी गई, जो वास्तविकता से परे है, क्योंकि प्रभारग्राही पदाधिकारी को इस विषय की पूर्ण जानकारी दे दी गई थी, परन्तु प्रभारग्राही पदाधिकारी के रहते जी०पी०महोदय द्वारा ओथ लेने

हेतु सूचना ही नहीं दी गई जो माननीय उच्च न्यायालय की सामान्य प्रक्रिया है और काफी दिनों के बाद तिथि निर्धारण होने के पश्चात् ओथ लिया जाता है। जी०पी० महोदय द्वारा सरकारी मोबाईल सं० लेकर निर्देश दिया कि जब सूचित करेंगे तब आकर ओथ लेंगे। तीन वर्ष बाद जब प्रभारग्राही पदाधिकारी भी स्थानान्तरित होकर चले गये तब अगले पदाधिकारी को ओथ लेने हेतु सूचित किया गया तब उन्हें प्राधिकृत कर ओथ लेने का निर्देश दिया और उन्होंने उनके द्वारा पूर्व में जमा किये गये तथ्य विवरणी पर ओथ लेकर ओथ संख्या–32218 दिनांक–23.09.2016 से संबंधित प्रतिवेदन जिला विधि प्रशाखा में समयक रूप से प्रस्तुत कर दिया। इस प्रकार प्रभारग्राही पदाधिकारी को इस विषय की जानकारी नहीं देने की बात तथ्य से परे है । उनके द्वारा सभी कार्य सम्यक रूप से निष्पादित कर तथ्य विवरणी जी०पी०–02 के यहॉ जमा कर दिया गया था । इससे संबंधित संचिका प्रखंड कार्यालय, बोचहॉ, मुजफ्फरपुर में रक्षित थी जिसके अवलोकनोपरांत उस पर अग्रेत्तर कार्रवाई कारवाई की जवाबदेही संबंधित लिपिक एवं तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी की थी।

उल्लेखनीय है कि उच्चाधिकारी के समक्ष तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा यह प्रतिवेदित नहीं किया गया कि उनके द्वारा विधिवत् रूप से तथ्य विवरणी तैयार कर ससमय जी०पी०–02 के यहॉ जमा कर दिया गया है और अनुमंडल पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर से विधिवत् रूप से अनुमति लेकर ओथ लेने गये थे। परन्तु जी०पी० –02 द्वारा सूचित करने पर आने का निर्देश दिया जो तीन वर्ष बाद सूचित किया गया और इसी बीच उनका स्थानान्तरण हो गया। तथ्यों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर उनके द्वारा सभी कार्य का निष्पादन निष्ठापूर्वक एवं ससयम किया गया है।"

4. अपने अभ्यावेदन में श्री रंजीत कुमार सिन्हा द्वारा वर्णित यह तथ्य कि तथ्य विवरणी तैयार कराकर सभी संबंधित पदाधिकारियों से हस्ताक्षर कराना एवं अनुपालन की पूर्ण प्रक्रिया जिला विधि प्रशाखा के माध्यम से ही अंजाम दी गई है, ऐसी स्थिति में पुनः अलग से विधि प्रशाखा को सूचना देने की कोई आवश्यकता नहीं है और ऐसा कोई निर्देश भी प्राप्त नहीं है तथा उनके द्वारा सभी कार्य सम्यक रूप से निष्पादित कर तथ्य विवरणी जी०पी०–02 के यहॉ जमा कर दिया गया था, को संतोषजनक उत्तर नहीं माना जा सकता है। क्योकि इनके द्वारा एतद् संबंधी सूचना जिला विधि शाखा को दी जानी चाहिए थी जो नहीं दिया गया, जिसके चलते CWJC No. ...../2013 सत्यनारायण राम बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में ससमय प्रतिशपथ पत्र दायर नहीं किया जा सका । इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि इन्होंने अपने जिम्मेवारी का सम्यक रूप से निर्वहन नहीं किया । अतः इनका अभ्यावेदन स्वीकर योग्य नहीं है।

5. उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में संचालन पदाधिकारी के प्रतिवेदन से सहमत होते हुए अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री रंजीत कुमार सिन्हा पर संचयी प्रभाव के बिना दो वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

6. अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री रंजीत कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी,बोचहॉ संप्रति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुजफ्फरपुर पर बिहार सरकारी सेवक(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम –14 में किये गये प्रावधानों के तहत संचयी प्रभाव के बिना दो वेतनवृद्धि रोकने का दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है।

ह०/–

(राजेश्वर प्रसाद सिंह)

निदेशक

ज्ञापांक :– स्था०1/आ०2–36/2016 75 पटना, दिनांक : 15.1.19

प्रतिलिपि :–सचिव के आप्त सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना।

2. जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को उनके पत्रांक–3894/विधि, दिनांक–31.10.2016 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
3. जिला कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
4. जिला सांख्यिकी पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
5. श्री सुदामा कुमार, आई०टी०मैनेजर, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को निदेशालय के वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
6. श्री रंजीत कुमार सिन्हा, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, बोचहॉ, मुजफ्फरपुर संप्रति सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, जिला सांख्यिकी कार्यालय, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक 15/01